7 adad 2013 311/

संo III-20/2016/मृ०स०अ०/भा०वा०अ०शि०प० मुख्य सतर्कता कार्यालय भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

(पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्) डाकघर, न्यू फॉरेस्ट, देहरादून।

VIGILANCE SECTION सतकंता अनुभाग

दिनाक 03 जनवरी

सेवा में.

समस्त उप-महानिदेशक / निदेशक (आई०सी०) भा.वा.अ.शि.प., समस्त सहायक महानिदेशक / सचिव, भा.वा.अ.शि.प.,

प्रमुख, आई.ए.सी / अवर सचिव, पेंशन सैल / केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भा.वा.अ.शि.प., अनुभाग अधिकारी, बजट अनुभाग, उप-वनसंरक्षक (प्र०), भा.वा.अ.शि.प., निजी सचिव, महानिदेशक-कार्यालय, भा.वा.अ.शि.प. सुनरत निदेशक, भा.वा.अ.शि.प. के संस्थान।

विषयः सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा कैलेंडर वर्ष 2016 में की गयी निजी विदेश यात्रा (Private Foreign Visit) के संबंध में।

महोदय.

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा कैलेंडर वर्ष 2016 में की गयी ''निजी विदेश यात्रा'' (Private Foreign Visit) पर सूचना एकत्रित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने कार्यालय / संस्थान (एवं अधिनस्थ केन्द्र) से संबंधित वांछित सूचना पीछे दिये गये प्रपत्र 1 एवं 2 में भर कर उचित कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को दिनांक 15.02.2017 अथवा उससे पूर्व भिजवाने का कष्ट करें। सूचना "शून्य (Nil)" होने पर भी कृप्या इस कार्यालय को सूचित करें।

do Caroa

भवदीय.

मुख्य सतर्कता अधिकारी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

देहरादून

Format-1

Name of the organization:

Details of Officers/Officials who had gone abroad on private visits during 2016 (in chronological order)

Titl	e Name of the officer	Designation	country	Duration of stay (From-To)	Source of Funding	Remarks (purpose/ reason of visit)
1000						
	77					

Format-2

Private foreign visits by Govt. employees during the year 2016 (Nos.)

S.No.	Name of the Organization	Year (2016)	
1.	XYZ	5(1)	

Figures in brackets shows the number of officers who have gone more than once in a calendar year e.g. if 4 officers have gone only once in 2016 and 1 officer has gone more than once in 2016, then it will show as 5(1).

Exception list: Details of officers who have travelled on private foreign visits more than once in a calendar year as per format-1 is also to be given.

Competent Authority to certify that sources of funds have been verified.